

कार्य स्थगित कर दिया है अतः पूर्व आदेश का
दिनांक 04/9/23 को पेश हो ५

04/9/23 वादी एवं लफ्ति वादी उप. नहीं।
साह-साह आयाज विवाही नहीं।
फिन्तु कोर्क उपस्थित नहीं आया।
गैली विवाह में दावा वादी अहम
हाजरी एवं अहम परवी में
स्वाधीन किया जाता है। पत्राधली
दाखिल फलत है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)